



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]  
No. 652]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2008/वैशाख 24, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2008/VAISAKHA 24, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2008

का.आ. 1135(अ).—यतः व्यवसायिकों की सूची में प्रबंधन व्यवसायिक शामिल करने के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 फरवरी, 2008 की सं. का. आ. 330 (अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन :

- (i) उप पैरा 15.8(i) के अंत में "तथा प्रबंधन व्यावसायिक" जोड़ा जाए।
- (ii) उप पैरा 15.8(iv) के बाद निम्नलिखित फुटनोट जोड़ा जाए:—

"\* प्रबंधन व्यवसायिक के पास एआईसीटीई/यूजीसी/केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से एमबीए डिग्री/डिप्लोमा और दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन की सदस्यता होनी चाहिए।"

[सं. के-12011/6/2007-डीडी Iबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2008

S.O. 1135(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the inclusion of Management Professionals in the list of Professional which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S. O. 330(E) dated 14th February, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers confer red by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

- (i) At the end of sub-para 15.8(i), "and Management Professionals\*" shall be added.
- (ii) After sub-para 15.8(iv), the following footnote shall be added:—

"\*Management professional shall be the one holding MBA degree/diploma from AICTE/UGC/ Centrally recognized institutions or institutes of national importance and having membership of Delhi Management Association."

[No.K-12011/6/2007-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.